ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.2, April – June,2024/63

''ग्रामीण परिवेश की महिलाओं पर स्वयं सहायता समूह का प्रभाव''

संजना सिंह, शोधछात्रा–समाजशास्त्र विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर। डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह, शोध निर्देशक–एसो0प्रोफे0–समाजशास्त्र, महादेव शुक्ल कृषक पी0जी0 कालेज गौर बस्ती।

https://doi.org/10.61410/had.v19i2.192

शोध सारांश

इस देश के ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका अतुलनीय रहीं है। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आथ्रिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एक जन आन्दोलन भी तैयार किया है साथ ही ग्रामीण समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषमताओं यथा–गरीबी, बेराजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार तथा महिलाओं के साथ पारिवारिक उत्पीड़न को अपनी भागीदारी से समाप्त करने का अथक प्रयास किया है। स्वयं सहायता समूह सरकार एवं समाज को अपना निरन्तर योगदान देने के साथ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास किया है जिससे वह परिवार, समाज एवं देश की प्रगति में वह अपना योगदान दे सकें।

स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण परिवेश में जीवन–निर्वहन करने वाले कमजोर एवं गरीबों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे बैंको के माध्यम से बचत, ऋण एवं बैंकिग गतिविधियों में वृद्धि कर समूह के सदस्यों में विश्वास में वृद्धि हुए उनके कल्याण हेतु कार्य करना है।

शब्द संकेत – स्वयं सहायता समूह, कल्याण, औपचारिक, महत्वाकांक्षा, जनमानस अनुदान, जागरूकता, सामुदायिक विकास, समस्याऐं।

शोध–पत्र

विकासशील देशों में स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से कमजोर जन सामान्य की सहायता का एक प्रमुख माध्यम है। स्वेच्छा से किसी विशेष कार्य हेतु बनाया गया एक ऐसा छोटा समूह जिसमें 10 से 20 सदस्य हों। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य बचत, ऋण एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उपकरणों के रूप में सामाजिक भागीदारी प्राप्त करता है। स्वयं सहायता समूह बचत एवं ऋण समूहों में औपचारिक बैंकिग ढांचे और ग्रामीण गरी परिवारों को आर्थिक लाभ हेतु एक साथ लाने का प्रयास में इनका कार्य उत्साहजनक रहा है।[1] भारत में स्वैच्छिक, मानवीय सेवा कार्य का इतिहास लम्बा रहा है। हम यह कह सकते है कि परोपकार, गरीब एवं कमजोर जनों की सेवा एवं जरूरतमंदों की सहायता भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। धर्म या कर्म की भाषा में इसे 'पूण्य' कहकर सम्बोधित किया गया है, इसलिए इसकी जड़ें काफी गहरी एवं शक्तिशाली है। इस प्रकार की सेवा का भूगोल भी अधिक विस्तृत दिखाई पड़ता है।[2]

देश में औपचारिक ऋण प्रक्रिया का तीव्रगति से विस्तार के पश्चात् भी अधिकांश क्षेत्रों में विशेष रूप से आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गाँव के निर्धन लोगों की निर्भरता वास्तव में साहूकारों पर ही थी। इस प्रकार की निर्धरता सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, एवं अनुसूचित जातियों, जनजातियों के सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों छोट व्यवसायियों एवं ग्रामीण कारीगरों में ही देखने को मिलती थी जिनकी बचत की धनराशि इतनी कम होती है कि बैकों द्वारा उसे एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न कारणों से ऐसे वर्गों को दिये जाने वाले ऋण को संस्थागत नहीं

किया जा सकता है। इसलिए स्वयं सहायता समूह द्वारा औपचारिक बैकिंग ढाँचे और ग्रामीण निर्धन लोगों को आपसी लाभ हेतु एक साथ लाने की सम्भावना में वृद्धि तथा उनके कार्य उत्साहजनक हो जाते हैं।[3]

1975 के पश्चात् गैर–सरकारी संगठनों में वृद्धि द्वारा सम्पूर्ण क्रान्ति की युवा शकित ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूति का स्वप्न ऐसे संगठनों के आइने में देखना शुरू कर दिया जिस संगठन के माध्यम से ऐसे युवाओं को रोजगार प्राप्त होने के साथ–साथ उच्च प्रस्थिति प्राप्त समाज में भी उनके स्थान को सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की। वास्तव में तत्कालीन सरकार द्वारा गैर–सरकारी संगठनों में वृद्धि की नीति भी तय की , सरकार द्वारा 'कपार्ट' जैसे संगठनों का निर्माण किया और उन्हें धन भी दिया जाने लगा। विदेशी संगठनों की तर्ज पर भारत में भी इस प्रकार के संगठन खड़े किये जाने लगे यथा–गाँधी फाण्डेशन, जय प्रकाश्ज्ञ फाउन्डेशन आगा खाँ फाउण्डेशन, राजीव गाँधी फाउण्डेशन और राष्ट्रीय साक्षात मिशन जैसी संस्थाओं का गठन उसी तर्ज पर किया गया। गैर सरकारी संगठनों के प्रति सरकार का व्यवहार यही दर्शाता है कि सरकार द्वारा संचालित विभाग इतने सक्षम नहीं है कि वह सीधे तौर पर सामाजिक कार्यों का संचालन कर सकें। उन्हें भी गैर सरकारी संगठनों के सहारे की आवश्यकता है।[4]

स्वयं सेवी संस्थाऐं अधिकांशतः स्थानीय स्तर पर ही विकास का बीड़ा उठाती हैं। इसलिए स्थानीय जनमानस की आवश्यकताओं का भी उन्हें अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जन्म ही क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है, क्योंकि किसी स्थान की कठिन समस्याओं के निराकरण हेतु भी वहाँ के जनमानस में भी उतावलापन रहता है। वास्तव में यदि सब कुछ ठीक ही रहता तो इन संगठनों की क्या आवश्यकता थी। इसलिए ऐसी संस्थाओं के गठन में स्थानीय बुद्धिजीवियों का भी योगदान होता है। इस प्रकार की स्वयं सेवाी संगठनों का भी महत्व बढ़ जाता है।

महिला सशक्तिकरण के कार्यों में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका बड़ी सार्थक रही है, सरकारी, गैर सरकारी विषयक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महिलाओं की स्थिति, उनकी सामाजिक महत्ता, सामाजिक एवं सामुदायिक विकास में उनकी भूमिका, पंचायतों में उनकी भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में योगदान, शिक्षा का प्रसार, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के सन्दर्भ में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है।

स्वयं सेवी संगठनों के प्रयास से महिलाओं को संगठित करने में बड़ी भूमिका रही है। यह प्रयास बिना किसी अनुदान के शुरू किया गया था, किन्तु आज यह मानसिकता स्वयंसेवी क्षेत्र में प्रबल है कि समाज कार्य हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। स्वयं सेवी संगठनों द्वारा समाज में जनचेतना अभियान को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सकों इत्यादि तथा महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो महिलाओं को एक ओर सामाजिक कुरीतियों एवं वर्जनाओं से मुक्त करा सकता है तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भी कर सकता है। स्वयं सेवी संगठनों द्वारा महिलाओं में व्यावसायिक दक्षता के विकास में भी योगदान दिया जा रहा है।[5]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम महात्मा गाँधी ने कहा था कि भारत में जब एक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। भारत गाँवों का देश है असली भारत गाँव में निवारस करता है। जिसमें महिलाओं की आत्मनिर्भरताक के बाद ही सशक्त व सम्पन्न भारत का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

''जब तक भारत में महिलाएं शोषित असहाय व बेरोजगार होगी तब तक हम अविकसित बने रहेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भारत में एक नयी क्रांति आयी जिसमें महिलाओं को

50प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी जन जागरूकता में वृद्धि करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित व उत्साहित किया, जिसमें स्वयं–सहायता समूह जैसी रोजगार योजना भी महिलाओं के विकास में वरदान सिद्ध हुई। केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इसका विशिष्ट स्थान व योगदान है।''[6]

भारत में ग्रामीण विकास में ग्राम विकास योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक उनके विकास योजनाऐं समय–समय पर अलग अलग नामों से संचालित होती रही है, प्रत्येक योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास ही रहा है। ''देश में पहली बार 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत हुई जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ ग्रामीणजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना पड़ रहा है। इसके पश्चात् 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कमियों को दूर करते हुए समग्र ग्रामीण विकास पर केन्द्रित था। इसके पश्चात् 09वीं पंचवर्षीय योजना में 01 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ किया गया। जिससे भारत में ग्रामीण विकास को दिशा मिली और मिल का पत्थर साबित हुआ। इसी योजना के तहत् देश में पहली बार व्यापक पैमाने पर स्व–सहायता समूह को विकसित किया।''[7]

''महिला स्व–सहायता के जनक नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनूस को माने जाते है। मुहम्मद युनूस के अथक प्रयास एवं दुरदर्शिता से बंग्लादेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्व–राजगार उपलब्ध कराने, कुटीर उद्योग एवं लघुउद्योग से जोड़ने तथा छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से पूंजी निर्माण करने तथा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए महिला स्व0 सहायता समूह का गठन प्ररम्भ किया गया जिसके आधार पर बंग्लादेश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान, बंग्लादेश ग्रामीण बैंक बना। मुहम्मद युनूस को उसके इसी उत्कृष्ट एवं कल्याणकारी कार्य के लिए वर्ष 2006 में दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।''[8]

उ0प्र0 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती। प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं के साथ–साथ महिलाओं में जागरूकता, संसाधनों, (पूंजी) दक्षता व्यवसायिक सूझबूझ, बाजार ज्ञान एवं आत्मविश्वास की कमी है जिसके कारण इसका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण सम्भावना के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए मलिहा स्व–सहायता समूह का गठन एक सशक्त साधन बन सकता है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 70 हजार महिला स्व–सहायता समूह का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से 10 लाख महिलाएँ संगठित हुई है, तथा बचत करके लगभग 40 करोड़ रुपये राशि जमा कर चुके है। वर्तमान में महिला स्व–सहायता समूह, महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण का पर्याय बन गया है।''[9]

महिलाओं की सशक्तिकरण – स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण प्रयास निम्न है :–

1. समूह के रूप में बैठक करने और काम करने से महिलाओं में सीख ज्यादा तेजी से बढ़ती है।
2. समूह में महिलाओं को अपने अनुभवों को बांटने का अवसर मिलता है। जिससे समस्या का समाधान खोजने का ज्ञान आता है।
3. समूह में कार्य करने से महिलाओं को उनके कार्य और व्यवहार के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है तथा सीखने का अवसर मिलता है।
4. समूह महिलाओं को ऐसा परिवेश या माहौल देता है जहां वे अपने अच्छे बुरे अनुभवों का विश्लेषण कर नई सीख निकाल लेती है।

5. समूह में महिलाओं की छोटी–छोटी बचत इकट्ठी होकर बड़ी राशि बन जाती है। यह बचत ही विकास/सशक्तिकरण का पहला कदम है।
6. समूह में छोटे–छोटे रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के सम्बन्ध में जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। जिससे महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर सशक्त होती हैं।
7. समूह में महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निराकरण जैस छुआ–छूत, बाल विवाह, शराब, खोरी, घरेलू हिन्सा, दहेज प्रताड़ना आदि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समूह के माध्यम से परस्पर सहयोग एवं सहायता प्राप्त कर सामाजिक रूप से सशक्त होती है एवं उनका आत्मबल बढ़ता है।
8. समूह में विशेषज्ञों, सरकारी विभागों एवं बैंकों से साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार नियोजन, शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं महिलाओं के सम्बन्ध में लागू सरकारी कानून कायदों की जानकारी प्राप्त कर महिलाएं सशक्त बनातीं है।
9. समूह से महिलाओं में आपसी सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है।
10. समूह में संगठित होने तथा एकता के कारण बैंकों से ऋण मिलने में आसानी होती है तथा शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त करने की क्षमता विकसित होती है। जो महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए लाभदायी एवं आवश्यक है।
11. समूह के माध्यम से महिलाएं स्वयं के सर्वागीण विकास के साथ–साथ बाद में सशक्त होकर सहभागिता द्वारा ग्राम पंचायत गाँव क्षेत्र का विकास करने में भी सक्षम हो जाती हैं।[10]

सन्दर्भ सूची –

1. 'पुरुवा' प्रतिभा; महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह, अंकुर बुक डिस्ट्रीव्यूटर्स दिल्ली, पृ0–33
2. मिश्र, डॉ0 विशेषवर मिश्र ; भारत में स्वयं सेवी संस्थाऐं, हस्तक्षेप राष्ट्रीय सहारा लखनऊ 23 सितम्बर 1995, पृ0–10
3. 'पुरुवा' प्रतिभा साहनी, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह, अंकुर बुक डिस्ट्रीव्यूटर्स दिल्ली, पृ0–33
4. दैनिक राष्ट्रीय सहारा, 12 अप्रैल 1998 लखनऊ, पृ0–13
5. वर्मा, सवलिया बिहारी एवं अन्य ; महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, पृ0–51
6. नई सहस्त्राब्दी महिला सशक्तिकरण अवधारणा चिन्तन एवं सरोकार भाग–2, पृ0–184
7. शर्मा, प्रज्ञा : महिला सशक्तिकरण और विकास, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, पृ0–2001
8. भारतीय समाज में नारी ; महंत सर्वेश्वरदास ग्रन्थालय रायपुर, पृ0–122
9. कुरूक्षेत्र जून 2001
10. 'पुरुवा' साहनी प्रतिभा; महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह, अंकुर बुक डिस्ट्रीव्यूटर्स दिल्ली, पृ0–92